Suspension of top officials of AI

†*36. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Managing Director of Air India alongiwth some top officials were suspended recently;

(b) if so, the details thereof with names and designation of these officials and the specific charge against them; and

(c) what punitive actior. Government have taken against these officials and the details of steps taken to prevent the recurrence of such crimes in future?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c): A statement is laid on the Table of the house.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir.

A report was forwarded by the then Acting Chief Vigilance Officer, Air India Limited on 18.10.2000 regarding misuse of officials position by senior officers of Commercial Department, Air India inculding Shri M.P. Mascarenhas, Managing Director, Air India by showing undue favours to M/s. Welcome Travels ex-General Sales Agent (GSA), UK. The allegations were inquired into by the Chief Vigilance Officer of the Ministry of Civil Aviation. This inquiry *prima facie* established that Shri M.P. Mascarenhas, Managing Director, Air India Limited (AIL), in concert with Shri P.K. Sinha, Regional Director (India) and two other officers who have since retired from Air India Services on attaining the age of superannuation have committed misconduct by, *inter-alia*, misusing their offical position for showing unwarranted favours to M/s Welcome Travels, ex-GSA,

---

$Question Nos. 24 and 36 were taken together.

UK by restructuring Productivity Linked Incentives (PLI) to the wrongful advantage of the ex-GSA, and to the detriment of the interests of AIL for the peirod 1992-93 and 1997-98, which resulted in wrongful gain to M/s Welcome Travels and corresponding wrongful loss to AIL to the extent of more than Rs. 2.79 crores. Since it was apprehended that their continuance in office are likely to hamper a fair and imprtial investigation and disciplinary proceedings, Shri Mascarenhas and Shri P.K. Sinha were placed under suspension by their respective competent authorities by order dated 22.5.2001

A detailed report was sent to Central Vigilance Commission (CVC) on 23.5.2001. The CVC have also been requested on 12.6.2001 for first stage advice.

A reference in this regard was made to Central Bureau of Investigation on 22.5.2001 who have registered a preliminary enquiry (PE) on 7th June, 2001. S/Shri Mascarenhas and Sinha have since then filed a writ petition in June, 2001 in Mumbai High Court in this matter and, therefore, at present the matter is *sub-judice*.

(c) The punitive action, if any, will be taken against the concerned officers of Air India after the report of detailed enquiry is received. In order to prevent such acts of omissions and commission in future, the system of appointing the GSA has since been terminated by Air India from August, 2000.

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो जबाव दिया है वह तो ठीक है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 1992-93 और 1997-98 का मामला था वह 2001 में मंत्री जी की नजर में आया और मंत्री जी ने उस मैनेजिंग डायरेक्टर को सस्पैंड किया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का भी एयर इंडिया बोर्ड में कोई मेम्बर होता है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब 1992-93 से मामला उनके खिलाफ था तो उनके विरुद्ध एक्शन लेने में इतनी देर क्यों हुई?

श्री शरद यादवः सभापति, जी, एयर इंडिया का जो चीफ विजीलेंस आफीसर है उसको सूचना मिली कि एयर इंडिया के जो एम०डी० हैं उन्होंने यू०के० के भूतपूर्व जनरल सेल्ज एजेंट (जीएसए) की मैसर्स वेलकम ट्रेवल्ज के मामले में कोई गड़बड़ की है। वहां पर जो पहले चीफ विजीलेंस आफीसर थे वे दूसरी जगह से आये थे और वे वापस चले गए। एक्टिंग सीवीओ के पास एम०डी० के विरुद्ध शिकायत 1997-98 के मामले के बारे में थी। वे जब 1997-98 के मामले की जांच कर रहे थे तो उस जांच में 1992-93 का मामला सामने आया।

सभापति जी, इसके दो तीन हिस्से हैं। जांच तो 1997-98 के मामले की हो रही थी, उस जमाने में जो अन ड्यू फेवर किया गया और यह कहा गया कि 32 परसेंट ट्रेफिक केपेसिटी है वह लोअर डाउन हो गई। उसकी भी जांच कराई गई। जो एक्टिंग सीवीओ था वह छोटा अफसर था इसलिए हमारे मंत्रालय में जो सीवीओ था उसने छह महीने तक इसकी इन्क्वायरी करने का काम किया। जिस एम०डी० को सस्पेंड किया गया। उनसे चीफ विजीलेंस आफीसर ने तीन-चार सवाल पूछे। उन्हीं सवालों के जबाव में उन्होंने यह कहा कि यह स्लैब बेसिस पर पांच परसेंट, सात परसेंट बढ़ाया है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह 19 मिलियन पाउण्ड पर देना था, लेकिन 15 मिलियन पाउण्ड पर दे दिया।

सभापति जी, इसकी इन्क्वायरी के तहत जब हमारे सीवीओ ने उनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि ऐसा मामला एक बार 1992-93 में हो चुका है और इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई सीएजी की रिपोर्ट के बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा और जब मैं मंत्रालय गया तो मैंने अपने सेक्रेटरी और सीवीओ को बुलाकर कहा कि आप इस इन्क्वायरी में कहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं और जो सीएजी की रिपोर्ट में आया हुआ है। उसकी बाबत मैंने पूछा उसकी पूरी फाइल उनसे मांगी और मांगने के बाद मुझे अहसास हुआ कि यही आदमी, क्रायोजैट के मामले में भी साइन करने के समय, जिस समय एयर इंडिया 40 करोड़ के प्रॉफिट में था, उस समय भी था और जब मैंने मंत्रालय संभाला तो उसके 15 दिन के बाद ही क्रायोजैट के मामले में अवार्ड मिल गया, 108 करोड़ रुपये का। यहां के केसवानी जी बैठे हैं, वह उस

समय बोर्ड के मैंबर थे - उस समय जो क्रायोजैट की डील की गयी, उसमें टर्मिनेशन क्लॉज नहीं डाला गया था। एयर इंडिया की बर्बादी का सिलसिला जो शुरू हुआ है ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: वह तो हां कह रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव: मैंने उनका डिसैंट नोट पढ़ा है। महोदय, जो गया सिंह जी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1997-98 के केस में यू॰के॰ के सेल्स एजेंट को जो अनड्यू फेवर किया गया। उस मामले में मैं मुतवईन था और उस मामले को जब मैंने गहराई से देखा तो ठीक निकला। इसके बाद हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने — 1992-1993 में जो इसी तरह की बात की गयी थी — उस केस को देखने का काम किया तो पूरी फाइल पढ़ने के बाद मुझे अहसास हो गया कि इसमें निश्चित तौर पर गड़बड़ है इसलिए हमने उनको सस्पैंड किया। सस्पैंड करना कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं है पर सस्पैंड सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यह क्रायोजैट का मामला सी॰बी॰आई॰ में 15 महीने से लम्बित था और उस पर कुछ हो नहीं पाया था, इसके साथ ही जिस जगह पर वह बैठे हैं, वह ऐसी जगह है जहां से वह हर चीज़ को इनफ्लूएंस कर सकते हैं। यही कारण था कि उनको सस्पैंड किया गया। इस मामले के संबंध में अदालत में केस चल रहा है, मुम्बई हाई कोर्ट में केस है। वहां पर इस संबंध में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर चूंकि मैं इस केस में मुतवइन हूं। इस लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में जो कार्यवाही की गयी है, वह मुकम्मिल तौर पर बहुत खोजबीन करने के बाद की गयी है।

श्री गया सिंह: सर, मंत्री जी ने जवाब दिया है, मैं उससे संतुष्ट हूं लेकिन मैं फिर जानना चाहता हूं कि 1992-93 का भी जब मामला आ गया, उस समय तो श्री मस्करेन्हस...(**व्यवधान**)...ठीक है, संतुष्ट है। ...(**व्यवधान**)...1992-93 का भी मामला जब आ गया, उस समय तो मैनेजिंग डायरैक्टर नहीं रहे होंगे। तो जो भी अधिकारी रहे होंगे, उन पर भी क्या आप कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री शरद यादव: जिन सज्जन को मैंने सस्पैंड किया, वह 1992-93 में भी कमर्शियल डायरेक्टर थे। 1992-93 में वही सैट ऑफ ऑफिसर्स थे। वे चार लोग हैं। श्री एम॰ पी॰ मस्करेन्हस है, पी॰ के॰ सिन्हा है, डी॰ बी॰ राय हैं और एक और ऑफिसर है,

मैं उनका नाम भूल रहा हूं। चार ऑफिसर्स हैं। चूंकि श्री मस्करेन्हस 1992-93 में कमर्शियल डायरेक्टर थे और यहीं सैट ऑफ ऑफिसर्स उस समय भी ऑपरेट कर रहा था, इस समय भी यही सेट ऑफ ऑफिसर ऑपरेट कर रहा है, इसलिए यह शंका हो गयी।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला: महोदय, प्रश्न संख्या 36 भी इसी सबजैक्ट पर है।

श्री सभापति: अभी चितरंजन जी का नाम इसमें है।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला: प्रश्न संख्या 36 इसी से संबंधित है।

श्री सभापति: मैंने पहले कह दिया है कि दूसरा नाम चितरंजन जी का है।

SHRI J. CHITHARANJAN: Mr. Chairman, Sir in the reply, the hon. Minister has stated that Shri M.P. Mascarenhas, Managing Director, Air India in concert with other officers of Air India, had committed the wrong. Sir, he has taken action only against the managing Director, He was suspended. He has also stated that the reason for taking action against the Managing Director was to conduct the inquiry in a free and fair manner, without being influenced by the Managing Director, But the same parameter should be applicable to other officer also who were conniving with him. Why haven't they taken action against them? This is part (a) of my question. part (b) of my question is this. They have already sent a report to the Central Vigilance Commission. The Central Vigilance Commission had also been requested to give a first stage adivce What is the advice given by the Central Vigilance Commission in this regad?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसमें अकेले एक आदमी पर कार्यवाही नहीं हुई है। जो पी॰के॰सिन्हा हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही हुई है और इस मामले को हमने सी॰बी॰आई॰ को भी दे दिया है, सी॰बी॰सी॰ को भी दे दिया है। अकेले उन पर कार्यवाही नहीं हुई है। जो तथ्य सामने आए हैं, वह 1997-98 के आए हैं और उन तथ्यों के संबंध में उसी समय सी॰ए॰जी॰ की रिपोर्ट आ गयी थी। यह इन्क्वायरी 6 महीने से चल रही है।

हमारे चीफ विजिलेंस-आफिसर की फाइंडिंग भी सीएजी की फाइंडिंग की तरह ही है। इसमें जो कार्रवाई की गई है वह एक आदमी के ऊपर नहीं की गई पी॰के॰सिन्हा कमर्शियल डायरेक्टर जो उस समय यू॰के॰ में थे, उनके ऊपर भी यह कार्यवाही की गई। बाकी दो आफिसर्स रिटायर

हो चुके हैं। निश्चित तौर पर इसमें तीन चीजें हैं। नम्बर एक, हमारे डिपार्टमेंट मे जो चीफ विजिलेंस आफिसर हैं, एयर इंडिया में जो विजिलेंस आफिसर हैं उनकी एक रिपोर्ट थी। सीएजी की रिपोटर भी आई जिसमें यह कहा गया कि 57 करोड़ रुपए का लाइसेंस यानी इस तरह के पी एल आई देने पर हुआ, लेकिन इस मामले में हमारे पास प्रमाण था, इस मामले की शिकायत हमारे पास थी और इस मामले में जब तथ्य हमारे पास आ गए तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर एमडी को हमने सस्पेंड किया। जांच के दौरान उनसे सवाल किया गया तो उनके ऑन्सर से ही 1992-93 का मामला हमारी पकड़ में आया। हमने जो कार्यवाही की है, वह दो आफिसर्स पर की है क्योंकि कुल चार आफिसर्स में से दो रिटायर हो चुके हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Blue-print for the next generation reforms

*21. SHRI RUMANDLA RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have initiated work on drawing up the blue-print for next generation reforms in the foreign investment arena which may further liberalise the investment in sectors such as Telecom, Direct-to-Home (DTH) and Civil Aviation, besides modification in guidelines on dividend repatriation by MNC subsidiaries;

(b) if so, whether the Reserve Bank of India has constituted a high-power committee which will review the whole lot of policy measures taken so far and recommend new policy measures; and

(c) if so, by when the Reserve Bank of India is likely to submit its report and take final decision in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) With a view to facilitate flow of Foreign Direct Investment (FDI), Government has already put in place a transparent, and investment friendly FDI policy planning almost all activities on the automatic route for FDI up to 100%. Government has set up a Group of Ministers (GoM) to constantly review the FDI policy keeping in view national priorities and sector specific guidelines. The GoM meets periodically to recommend changes in FDI policy after